



भारत सरकार Government of India
खान मंत्रालय Ministry of Mines
भारतीय खान ब्यूरो Indian Bureau of Mines
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय Office of the Regional Controller of Mines
100, ओल्डनेहरू कालोनी, देहरादून (उत्तराखण्ड) 248001 /100 Old Nehru Colony, Dehradun
(U.K.)248001
TEL- 0135-2676350 / 2671896, E-mail - ro.dehradun@ibm.gov.in



फाईलसंख्याFile No: MCDR-MiFLOLST/18/2022- Mine Code: 38HPR10030 दिनांक, 15 -01-2023
DDN-IBM_RO_DDN

सेवा मेंTo : श्री वीनेन्द्र कुमार वालिया E-mail: supriyank11@gmail.com
खननपट्टाधारक- भूतमारी चूनापत्थर खान
गांव व पोस्ट- ददाहू,
तहसील-रेणुका जिला-सिरमौर,
हि.प्र. 173025

विषय Sub: हिमाचल प्रदेश राज्य के सिरमौर जिले की ददवु तहसील में निकट मंडोली गांव में आपकी भूतमारी चूनापत्थर खान (32.57 हेक्टेयर क्षेत्र) के संबंध में खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 2017 के प्रावधान का उल्लंघन।

महोदय Sir,

बालाकार्तिक रेड्डी गजला, सहायक खनन अभियंता द्वारा दिनांक 14.12.2023 को श्री डी.के. सिन्हा, खान प्रबंधक की उपस्थिति में कि एगएएमसीडीआर निरीक्षण के दौरान आपकी उपरोक्त खदान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 2017 (एमसीडीआर, 2017) के निम्नलिखित प्रावधान का उल्लंघन पाया गया।

RULE NO.	NATURE OF VIOLATION OBSERVED
11(1)	Mining Operation has not been carried out in accordance with the approved modification of Mining Plan of vide letter no. 614(2)/MP-B-283/08-DDN dated 09-03-2022 to the following extent: a) Exploration of 4 bore holes proposed for the year 2022-23 has not been carried out.
45(7)	In the submitted Annual return 2022-23, discrepancy is found as follows: 1. It has been observed that no buyer has been registered (Material has been Sold to Unregistered Party) in the IBM. 2. Ex. Mine Price of LD grade Limestone is found very less in compared to Average Sale Price.

- इस संबंध में, यह आपके संज्ञान में लाया जाता है कि नियम 11(1) का उल्लंघन नियम 62(1) एमसीडीआर नियम, 2017 के तहत दंडनीय अपराध है, 45(7) का उल्लंघन नियम 62(2) के तहत दंडनीय है।
- इसके अतिरिक्त नियम 11(1) की पालना निर्धारित समयावधि में न होने पर नियम 11(2) के तहत खनन कार्य स्थगन करने की अनुसंधा की जा सकती है, और / या आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
- आपको सलाह दी जाती है कि उपरोक्त उल्लंघनों में तत्काल सुधार करें और इस पत्र के जारी होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर इस कार्यालय को अनुपालन स्थिति से अवगत कराएं।

भवदीय/Yours faithfully

(दामोदर प्रसाद शर्मा /D P Sharma)
सहायक खान नियंत्रक /Assistant Controller of Mines

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

- खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर। (zo.udaipur@ibm.gov.in)
- निदेशक उद्योग निदेशालय, हि0 प्र0 सरकार, उद्योग भवन, शिमला (हि0 प्र0). (geologicalwing@gmail.com)
- गार्ड फाइल

सहायक खान नियंत्रक /Assistant Controller of Mines